प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, उदयपुर थाना सी.पी.एस., ए.सी.बी., जयपुर वर्ष 2022
   प्र.इ.रि.स ...328/22... दिनांक ...24/8/2022...
2.(1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं – 7, 7 ए पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018
   (2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं – 120 बी भा.द.स.
   (3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं – –
3.(1) रोजनामचा आम रपट संख्या ...435... समय ...8:00 P.M...
   (2) अपराध के घटने का दिन मंगलवार, दिनांक 23–08–2022, समय 11.00 ए.एम.
   (3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 18–08–2022 समय 04.00 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटना स्थल : –
   (1) थाने से दिशा व दूरी– बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 480 किलोमीटर
   (2) पता– कार्यालय पटवार मण्डल मंगलवाड तहसील डूगला जिला चित्तौडगढ़ ।
   .... बीट संख्या .... जरायमदेही संख्या ....
   (3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना ....जिला ....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता –

परिवादी

(1) नाम : श्री डालचन्द
(2) पिता का नाम : शंकरलाल
(3) आयु : 42 साल
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या .... जारी होने की तिथि ....जारी होने की जगह ....
(6) व्यवसाय : कृषि कार्य
(7) पता : गांव मंगलवाड पुलिस थाना मंगलवाड जिला चित्तौडगढ

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :

1) श्री झाबरमल पुत्र श्री रामेश्वरलाल वर्मा उम्र 43 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल पटवारी, पटवार मण्डल मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चितौडगढ (राज)
2) श्री पुष्कर अहीर पुत्र श्री नानालाल अहीर उम्र 31 वर्ष निवासी मोरवन पुलिस थाना मंगलवाड जिला चितौडगढ (प्राईवेट व्यक्ति)

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

   क्रम. सं.   सम्पत्ति का प्रकार   अनुमानित मूल्य   वस्तु स्थिति

   1. भारतीय चलन मुद्रा 4,000/– रूपये, आरोपीगण द्वारा परिवादी से 4,000/– रूपये रिश्वत राशि मांगकर ग्रहण करना।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 4,000 रूपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
ए.सी.बी. उदयपुर

विषय – पटवारी के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर कानूनी कार्यवाही करने के संबध में।

महोदय जी,

नम्र निवेदन है कि मै प्रार्थी मंगलवाड जिला चित्तौडगढ का रहने वाला हूँ मेरी भाई की बहू श्रीमती मुन्ना पत्नी स्वर्गीय श्री लच्छीराम अहीर निवासी मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चितौडगढ के द्वारा ग्राम मंगलवाड पटवार हल्का मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चितौडगढ में स्थित खसरा संख्या 2761/1152 रकबा 0.1800 कृषि भूमि को जरिये विक्रय विलेख विक्रेतागण (1) श्री गुलाबचंद पिता डालचंद पुरोहित, (2) श्रीमती गीताबाई पत्नी श्री डालचंद पुरोहित एवं (3) श्रीमती प्रेमबाई पिता डालचंद पुरोहित निवासीयान मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चितौडगढ से खरीदी। उक्त कृषि भूमि को उप पंजीयक, मंगलवाड जिला चितौडगढ से दिनांक 26–7–2022 को पंजीयन करवाया गया। पंजीयन के बाद उक्त जमीन को मेरे भाई की पत्नि के नाम नामांतरण खोलने के लिए अंदाजन तीन चार दिन के बाद मेरे छोटे भाई की बहू श्रीमति मुन्ना के नाम नामांतरण खोलने के लिए कागजात पटवारी सा. झाबरमल जी को कागजात उनके कार्यालय में जाकर दे दिए और मेरे भाई की बहू पटवारी सा. से मिली तो साहब ने मेरे भाई की पत्नि से नामान्तरण खोलने के लिए हमारे से 5000 खर्चेपानी के मांगे है। हमारे द्वारा जब तक उक्त खर्चेपानी के रूप में पैसे पटवारी को नहीं देंगे तब तक वे नामांतरण नहीं खोलेंगे। हम हमारा वैद्य कार्य करवाने के लिए झाबरमल पटवारी साहब को रिश्वत की राशि नहीं देना चाहते है। पटवारी साहब से हमारा कोई लेनदेन भी बाकी नहीं है और ना ही हमारी पटवारी साहब से आपसी रंजिश है। मैं पटवारी साहब को रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। कानूनी कार्यवाही करावे

एसडी
दुर्गेश लोहार

एसडी
अमित शर्मा

एसडी
मुन्ना

प्रार्थी
एसडी/–
डालचन्द अहीर

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 18–8–2022 समय करीब 4.00 पी.एम. पर परिवादी श्री डालचंद पिता शंकरलाल अहीर निवासी ग्राम मंगलवाड जिला चितौडगढ उपस्थित होकर श्री उमेश ओझा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर के समक्ष एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत कि ''मेरी भाई की बहू श्रीमती मुन्ना पत्नी स्वर्गीय श्री लच्छीराम अहीर निवासी मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चितौडगढ के द्वारा ग्राम मंगलवाड पटवार हल्का मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चितौडगढ में स्थित खसरा संख्या 2761/1152 रकबा 0.1800 कृषि भूमि को जरिये विक्रय विलेख विक्रेतागण (1) श्री गुलाबचंद पिता डालचंद पुरोहित, (2) श्रीमती गीताबाई पत्नी श्री डालचंद पुरोहित एवं (3) श्रीमती प्रेमबाई पिता डालचंद पुरोहित निवासीयान मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चितौडगढ से खरीदी। उक्त कृषि भूमि को उप पंजीयक, मंगलवाड जिला चितौडगढ से दिनांक 26–7–2022 को पंजीयन करवाया गया। पंजीयन के बाद उक्त जमीन को मेरे भाई की पत्नि के नाम नामांतरण खोलने के लिए अंदाजन तीन चार दिन के बाद मेरे छोटे भाई की बहू श्रीमति मुन्ना के नाम नामांतरण खोलने के लिए कागजात पटवारी सा. झाबरमल जी को कागजात उनके कार्यालय में जाकर दे दिए और मेरे भाई की बहू पटवारी सा. से मिली तो साहब ने मेरे भाई की पत्नि से नामान्तरण खोलने के लिए हमारे से 5000 खर्चेपानी के मांगे है। हमारे द्वारा जब तक उक्त खर्चेपानी के रूप में पैसे पटवारी को नहीं देंगे तब तक वे नामांतरण नहीं खोलेंगे। हम हमारा वैद्य कार्य करवाने के लिए झाबरमल पटवारी साहब को रिश्वत की राशि नहीं देना चाहते है। पटवारी साहब से हमारा कोई लेनदेन भी बाकी नहीं है और ना ही हमारी पटवारी साहब से आपसी रंजिश है। मैं पटवारी

साहब को रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ।'' परिवादी की लिखित रिपोर्ट से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाये जाने से श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, उदयपुर के द्वारा उक्त लिखित रिपोर्ट पर मन् पुलिस निरीक्षक, ब्यूरो इकाई उदयपुर को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देशित किया गया।

मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी से उसके द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के संबंध में पूछताछ की गई तो परिवादी ने उक्त लिखित रिपोर्ट स्वयं द्वारा लिखी होकर अपने स्वयं के हस्ताक्षर होने की ताईद करते हुए बताया कि मेरे छोटे भाई की बहू श्रीमती मुन्ना पत्नी स्व. श्री लच्छीराम अहीर निवासी मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चितौडगढ (केता) के द्वारा ग्राम मंगलवाड पटवार हल्का मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चितौडगढ में स्थित खसरा संख्या 2761/1152 रकबा 0.1800 कृषि भूमि को जरिये विकय विलेख विकेतागण (1) श्री गुलाबचंद पिता डालचंद पुरोहित, (2) श्रीमती गीताबाई पत्नी श्री डालचंद पुरोहित एवं (3) श्रीमती प्रेमबाई पिता डालचंद पुरोहित निवासीयान मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चितौडगढ से कय करके दिनांक 26-7-2022 को उप पंजीयक, मंगलवाड जिला चितौडगढ से पंजीयन कराया गया। परिवादी ने उक्त लिखित रिपोर्ट के अलावा उक्त कृषि भूमि के विकय विलेख से संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रतियां पेश की जो बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही की गयी। परिवादी ने बताया कि ''उक्त कृषि भूमि को मेरे छोटे भाई की बहू श्रीमती मुन्ना अहीर के नाम नामांतरण हेतु मैं तथा मेरे छोटे भाई की बहू दोनो संबंधित पटवार हलका मंगलवाड के पटवारी श्री झाबरमल से मिले तो श्री झाबरमल पटवारी ने हमसे हमारी उक्त कृषि भूमि का नामांतरण खोलने की एवज में 5000 रूपये खर्चेपानी के रूप में रिश्वत राशि की मांग की। मैं तथा श्रीमती मुन्ना अहीर दोनो पटवारी साहब श्री झाबरमल को अपने जायज काम के बदले में रिश्वत नहीं देना चाहते है। उक्त कार्यवाही करने हेतु मैं तथा मेरे भाई की बहू श्रीमती मुन्ना अहीर ने आपस में सलाह कर एक राय होकर उक्त कार्यवाही कराने हेतु मैं आया हूँ।''

मामला रिश्वत राशि लेनदेन का पाया जाने से परिवादी को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के बारे में समझाया गया। कार्यालय की अलमारी में रखे डिजिटल टेप रिकॉर्डर को श्री टीकाराम कानि से मंगवाया जाकर उसके संचालन की विधि से भलीभांति अवगत कराया गया। तत्पश्चात परिवादी को संदिग्ध अधिकारी से रिश्वती राशि की मांग का सत्यापन कराये जाने हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि आज तो पटवारी साहब श्री झाबरमल जी पटवार मण्डल से चले गये होंगे और उनके कल दिन में आने की संभावना है। परिवादी ने यह भी बताया कि पटवारी रिश्वत की मांग मेरे तथा श्रीमती मुन्ना के सामने कर लेता है। मैं तथा श्रीमती मुन्ना कल दिनांक 19-8-2022 को मंगलवाड चौराहे पर मिल जायेंगे। जिस पर श्री टीकाराम कानि का परिचय परिवादी से आपस में कराया जाकर श्री टीकाराम कानि को हिदायत दी गयी कि दिनांक 19-8-22 को मंगलवाड पहुंच परिवादी से संपर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करे। परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत देते हुए रूखसत किया गया।

दिनांक 19-8-2022 को समय करीब 1.30 पी.एम. पर श्री टीकाराम कानि मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता कराने हेतु मंगलवाड पहुंच परिवादी से संपर्क कर मांग सत्यापन की कार्यवाही करने के लिए रवाना किया जाकर मुनासिब हिदायत दी गयी। तत्पश्चात समय करीब 4.00 पी.एम. पर श्री टीकारान कानि ने जरिये दूरभाष बताया कि परिवादी श्री डालचंद अहीर एवं श्रीमती मुन्ना अहीर को भेजकर संदिग्ध पटवारी श्री झाबरमल से रिश्वत राशि के मांग सत्यापन वार्ता करायी गयी। मांग सत्यापन वार्ता के दौरान संदिग्ध पटवारी ने 500 रूपये परिवादी से ले लिये है तथा शेष रिश्वत राशि 4000 रूपये लेकर मंगलवार को बुलाया है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा कानि के फोन से ही परिवादीगण से वार्ता की जाकर संदिग्ध को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 4000 रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 23-8-2022 को प्रातः 8 बजे ब्यूरो कार्यालय उदयपुर में उपस्थिति होने हेतु कहा गया तो परिवादीगण ने बताया कि हमारे पारिवारिक कार्य है, हम आपको मंगलवाड ही मिल जायेंगे। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादीगण को हिदायत दी गयी कि दिनांक 23-8-2022 को प्रातः करीब 10 बजे मंगलवाड स्थित बाईपास पर मिले। श्री टीकाराम कानि को परिवादीगणों को रूखसत करने की हिदायत देकर श्री टीकाराम कानि को डिजिटल टेप रिकॉर्डर के ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित होने के निर्देश दिये। समय करीब 5.15

पी.एम.पर श्री टीकाराम कानि ने उपस्थित कार्यालय होकर मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं यहां से रवाना होकर मंगलवाड़ पहुंचा। जहां पर परिवादी से संपर्क कर मिला तो परिवादी के साथ एक अन्य महिला उपस्थित मिली। परिवादी ने उक्त महिला के बारे में परिचय देते हुए बताया कि ये मेरे छोटे भाई की बहू श्रीमती मुन्ना अहीर है, जिनके द्वारा क्रय की गयी कृषि भूमि का नामांतरण खोलने की एवज में पटवारी रिश्वत की मांग कर रहा है। परिवादी के कथनों की श्रीमती मुन्ना ने भी ताईद की। साथ ही परिवादी ने यह भी बताया कि पटवारी श्री झाबरमल श्रीमती मुन्ना के सामने ही रिश्वत राशि की मांग कर लेगा। जिस पर मैंने ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर समय करीब 3.02 पीएम पर चालू कर परिवादी को दिया तो परिवादी ने अपने पास सुरक्षित रखते हुए परिवादी एवं श्रीमती मुन्ना के साथ पटवार मण्डल मंगलवाड के कार्यालय में गये मैं पटवार मण्डल के बाहर ही परिवादी के आने के इंतजार में रहा। कुछ समय पश्चात बाद परिवादी एवं श्रीमती मुन्ना मेरे पास आये और परिवादी ने ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मुझे दिया जिसे मेरे द्वारा बंद कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। परिवादी ने बताया कि मैं तथा श्रीमती मुन्ना अहीर दोनो पटवार मण्डल के कार्यालय में गये तो पटवारी साहब श्री झाबरमल ने मुझसे 5000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की मांग सत्यापन के दौरान ही मेरे गांव का ही परिचित व्यक्ति श्री विजय सिसोदिया पुत्र श्री छगनलाल सिसोदिया निवासी मंगलवाड जिला चितौडगढ भी आया था। उसी दौरान पटवारी साहब ने नामांतरण खोलने की एवज में 5000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की, हाथाजोडी करने पर 4500 रूपये लेने को राजी हुआ। जिस पर मेरी भाभी द्वारा 500 रूपये मुझसे लेकर पटवारी साहब को दिये थे और शेष रिश्वत राशि 4000 रूपये मंगलवार को लेकर आने के लिए कहा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड उक्त वार्ता को मेरे द्वारा चलाकर सुना गया तो श्री टीकाराम कानि के कथनों की पुष्टि हुई एवं संदिग्ध श्री झाबरमल पटवारी के द्वारा परिवादीगण से रिश्वत मांग करने की भी पुष्टि हुई। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया।

दिनांक 22–8–2022 समय करीब 2.00 पी.एम. पर अग्रिम कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान् अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग, चेटक सर्कल, उदयपुर के नाम तेहरीर जारी कर स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 23–8–2022 को प्रातः 8 बजे ब्यूरो कार्यालय उदयपुर में उपस्थित होने के लिए पाबंद कराने हेतु श्री सुरेश कुमार कानि 424 को रवाना किया जो समय करीब 4.00 पी.एम. पर श्री सुरेश कानि ने उपस्थित कार्यालय होकर गवाहान की तलबी हेतु जारीशुदा तेहरीर की कार्यालय प्रति पेश करते हुए बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं कार्यालय से रवाना हो कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग, उदयपुर पहुंच तेहरीर देकर कार्यालय प्रति पर गवाहान के नाम/ मोबाइल नम्बर प्राप्त कर उपस्थित हुआ हूँ। तेहरीर की कार्यालय प्रति को शामिल पत्रावली किया गया। कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर के समस्त स्टाफ को दिनांक 23–8–2022 को प्रातः 8 बजे कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया।

दिनांक 23–8–2022 पर समय 8.00 एएम पर श्री दुर्गेश लोहार सहायक अभियंता एवं श्री अमित शर्मा हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड उदयपुर उपस्थित कार्यालय हुए। पूर्व में पाबंदशुदा ब्यूरो का समस्त स्टाफ भी उपस्थित कार्यालय हुए।

दृष्टांत फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की रासायनिक प्रतिक्रिया परिवादी की उपस्थिति में ही प्रदर्शित की जानी है। समय करीब 8.40 ए.एम. पर श्री मांगीलाल कानि को कार्यालय के मालखाने से फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को निकलवाया जाकर श्री मांगीलाल कानि से फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को टेक्सी वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवायी जाकर श्री मांगीलाल कानि के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात श्री हरिश्चंद्र सिंह पुलिस निरीक्षक, श्री मांगीलाल, श्री सुरेश कानि मय टेक्सी वाहन के मंगलवाड स्थित बाईपास पर पहुंचने की हिदायत के रवाना करते हुए उनके पीछे पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री दुर्गेश लौहार सहायक अभियंता, श्री अमित शर्मा, कनिष्ठ सहायक मय जाप्ता श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि, श्री करणसिंह हैड कानि, श्री टीकाराम कानि मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिंटर, यूपीएस मय आवश्यक संसाधन के टेक्सी वाहन से मंगलवाड के लिए रवाना होकर समय करीब 9.45 ए.एम. पर पुलिस निरीक्षक श्री हरिश्चंद्र

सिंह मय जाप्ता एवं मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के मंगलवाड बाईपास पर नेशनल हाईवे के पास स्थित एच.पी. पेट्रोल पंप के बाहर पहुंच टेक्सी वाहनों को साईड में खडा किया। जहां पर पूर्व में पाबंदशुदा परिवादी श्री डालचंद मय कार के उपस्थित मिला। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान, परिवादी के रोड के एक साईड में जाकर परिवादी श्री डालचंद का परिचय श्री दुर्गेश लौहार सहायक अभियंता, श्री अमित शर्मा, कनिष्ठ सहायक से आपस में कराया गया। श्री दुर्गेश लौहार सहायक अभियंता, श्री अमित शर्मा, कनिष्ठ सहायक को उक्त ट्रेप कार्यवाही बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने हेतु सहमति चाही गयी तो दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति दी। जिसके उपरांत परिवादी द्वारा पूर्व में पेश की गयी लिखित रिपोर्ट को परिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनायी गयी तो परिवादी द्वारा शब्द ब शब्द सही होना बताते हुए अपने स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया था। जिस पर उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 19-8-22 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकार्ड थी, उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चलाकर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष चलाकर सुनाई गयी तो दोनो स्वतंत्र गवाहान ने भी आरोपी के द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग की पुष्टि की। समय करीब 10.15 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री डालचंद अहीर को आरोपी श्री झाबरमल, पटवारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 8 नोट कुल 4,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर निम्नानुसार है:-

1	500 रूपये का एक नोट नंबर	6SF 180609
2	500 रूपये का एक नोट नंबर	9AW* 114995
3	500 रूपये का एक नोट नंबर	9FD 121927
4	500 रूपये का एक नोट नंबर	7CS 415402
5	500 रूपये का एक नोट नंबर	7RM 487723
6	500 रूपये का एक नोट नंबर	1FL 927874
7	500 रूपये का एक नोट नंबर	3FA 486790
8	500 रूपये का एक नोट नंबर	3AL 057093

परिवादी श्री डालचंद द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर श्री मांगीलाल कानि से टेक्सी वाहन के डेस्क बोर्ड में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर दो अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त नोटों पर अलग-अलग दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी की पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री अमित शर्मा से लिवायी जाकर उक्त नोटों को श्री मांगीलाल कानि से परिवादी के पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में कोई शै: न छोडते हुए मुनासिब हिदायत के रखवाए गये। तत्पश्चात् श्री सुरेश कानि से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी पेट्रोल पंप से साफ पानी भरवाकर मंगवाया इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त घोल में श्री मांगीलाल कानि के दाहिने हाथ की उंगलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी, परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थेलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री मांगीलाल कानि से फिकवाया गया तथा अखबार को जलाकर नष्ट किया गया तथा श्री मांगीलाल से फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को टेक्सी वाहन की डिक्की में सुरक्षित रखवायी जाकर श्री मांगीलाल कानि के दोनो हाथों को एवं उपरोक्त कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री मांगीलाल कानि को दौराने कार्यवाही घटनास्थल से दूर रहने के निर्देश दिये गये। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि

मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे तथा रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर ट्रेप पार्टी के सदस्यों को देखते हुए गोपनीय ईशारा करे। उपरोक्त निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को बताया गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शीशीयॉं, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को श्री टीकाराम कानि. से साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। रिश्वती राशि के लेनदेन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मुनासिब हिदायत के सुपूर्द किया गया। समय करीब 10.35 ए.एम. पर परिवादी ने बताया कि पटवारी साहब ने पहले भी रिश्वत की मांग मेरे भाई की बहू श्रीमती मुन्ना के सामने ही की है, लेनदेन के दौरान भी वह साथ होगी तो ठीक ही रहेगा। श्रीमती मुन्ना भी मंगलवाड चौराहे के पास ही खडी है। पटवार मण्डल जाते वक्त उसको रास्ते में ले लूंगा। समय करीब 10.40 ए.एम. पर परिवादी श्री डालचंद मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के निजी कार से मंगलवाड चौराहे के लिए रवाना करते हुए उनके पीछे पीछे श्री हरिश्चंद्र सिंह पुलिस निरीक्षक, मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, यूपीएस इत्यादि के टेक्सी वाहनों से मंगलवाड चौराहे के लिए रवाना हो समय करीब 10.45 ए.एम. हम सभी रवानाशुदा मंगलवाड चौराहे के पास पहुंच वाहनों को साईड में लेकर परिवादी ने पहले से खडी एक महिला के बारे में उपस्थितिन के समक्ष ही परिवादी ने श्रीमती मुन्ना का मन् पुलिस निरीक्षक दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं अन्य जाप्ते से आपस में परिचय करवाया। श्रीमती मुन्ना अहीर उपस्थितिन के समक्ष ही बताया कि ये मेरे जेठजी डालचंद जी है, पटवारी साहब के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर मेरे कहने पर ही मेरी सहमति से इन्होंने आपके ऑफिस में रिपोर्ट दी। तत्पश्चात्त परिवादी के द्वारा पूर्व में दिनांक 18-8-2022 को पेश की गयी लिखित रिपोर्ट को स्वतंत्र गवाहान, परिवादी के समक्ष ही श्रीमती मुन्ना को पढकर सुनाई जाकर परिवादी एवं श्रीमती मुन्ना ने रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की ताईद की। उक्त रिपोर्ट पर श्रीमती मुन्ना ने भी अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात श्रीमती मुन्ना को परिवादी श्री डालचंद के साथ उसकी कार से पटवार मण्डल मंगलवाड के लिए रवाना करते हुए उनके पीछे पीछे मन् पुलिस निरीक्षक, श्री हरिश्चंद्र सिंह पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ते के टेक्सी वाहनों से रवाना होकर पटवार मण्डल मंगलवाड के पास पहुंच सभी अपने-अपने वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी एवं श्रीमती मुन्ना को रिश्वत राशि लेनदेन के वक्त होने वाली वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की हिदायत देते हुए समय करीब 10.54 एएम पर परिवादी एवं श्रीमती मुन्ना को पटवार मण्डल के लिए रवाना किया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो जाप्ता पटवार मण्डल के आसपास अपनी अपनी उपस्थिति छिपाये हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में रहे। समय करीब 11.00 एएम पर परिवादी एवं श्रीमती मुन्ना पर पटवार मण्डल मंगलवाड के बाहर स्थित सडक पर आकर परिवादी श्री डालचंद ने अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा किया। रिश्वती राशि स्वीकारोक्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा मिलने पर मन् पुलिस निरीक्षक, श्री हरिश्चंद्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यगण तेज-तेज कदमों से चलकर परिवादी के पास पहुंचे। परिवादी को साथ लेकर कार्यालय पटवार मण्डल की ओर जाने लगे कि पटवार मण्डल कार्यालय से बाहर निकलकर एक व्यक्ति भागने लगा जिसको देखकर थोडी दूरी पर खडी परिवादी के छोटे भाई बहू श्रीमती मुन्ना ने बताया कि ये पुष्कर अहीर जिसको पटवारी साहब ने रिश्वत राशि 4000 रूपये हमसे लेकर गिनकर इसको दी थी जो लेकर भाग रहा है इसको पकडो। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा श्री हरिश्चंद्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री दुर्गाश लौहार, ब्यूरो जाप्ता श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि, श्री सुरेश कानि. को पटवार मण्डल मंगलवाड के कार्यालय कक्ष की ओर रवाना करते हुए देखा कि एक व्यक्ति पटवार मण्डल के भवन के पास ही स्थित कांटों की बाड को कूदकर पीछे की ओर भागता हुआ नजर आया। जिस पर श्री सुरेश कानि

को परिवादी के साथ उसकी कार से आरोपी श्री पुष्कर अहीर का पीछा करने के निर्देश देते हुए मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री अमित शर्मा ब्यूरो जाप्ता श्री करण सिंह हैड कानि. एवं श्री टीकाराम कानि. के भागते हुए व्यक्ति (श्री पुष्कर अहीर) के पीछे-पीछे भागे। जिस पर आरोपी श्री पुष्कर अहीर पटवार मण्डल के पीछे स्थित खेत खलिहान में खडी फसलों का फायदा उठाकर भाग गया। जिसकी तलाश की गयी किन्तु फसलें बडी-बडी होने से नहीं मिला। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री अमित शर्मा, ब्यूरो जाप्ता श्री करण सिंह हैड कानि..एवं श्री टीकाराम कानि को साथ लेकर कार्यालय पटवार मण्डल मंगलवाड पर आये। जहां पर पुलिस निरीक्षक श्री हरिश्चंद्र सिंह मय स्वतंत्र गवाह श्री दुर्गेश लौहार एवं जाप्ता, श्रीमती मुन्ना पटवार मण्डल पर ही मौजूद मिले। उनके पास एक व्यक्ति पटवार मण्डल में ही श्री हरिश्चंद्र सिंह पुलिस निरीक्षक की निगरानी में बैठा हुआ था, की ओर ईशारा कर श्री हरिश्चंद्र सिंह पुलिस निरीक्षक ने बताया कि ये ही श्री झाबरमल पटवारी है। इसी दौरान परिवादी श्री डालचंद एवं श्री सुरेश कानि पटवार मण्डल पर उपस्थित आये। परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किया जिसे मेरे द्वारा बंद कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं श्री पुष्कर अहीर को पहले से जानता हूँ वो यहां पास ही स्थित मोरवन का रहने वाला है, आपके निर्देश पर उसकी आसपास तलाश की एवं उसके घर मोरवन भी जाकर आये है लेकिन वो घर पर नहीं मिला है। तत्पश्चात परिवादी ने पटवार मण्डल कार्यालय कक्ष में कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि ये ही झाबरमल पटवारी साहब है जिन्होंने मेरे से रिश्वती राशि 4000 रूपये मांगकर अपने हाथों से ग्रहण कर गिनने के बाद अपने पास ही खडे श्री पुष्कर अहीर को दे दिये जो थोडी देर पहले ही पैसे लेकर भागा है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना व दोनों गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत कराया तथा परिवादी द्वारा बताये गये व्यक्ति से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री झाबरमल पुत्र श्री रामेश्वरलाल वर्मा उम्र 43 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज) हाल पटवारी, पटवार मण्डल मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चितौडगढ होना बताया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी पटवारी से परिवादी की ओर ईशारा कर पूछा कि आपने अभी-अभी इससे 4,000 रूपये किस बात के ग्रहण किये है तो आरोपी श्री झाबरमल पटवारी ने बताया कि ये झूठ बोल रहा है मैंने इनसे कोई पैसे नहीं लिये है। जिस पर परिवादी ने स्वतः ही बताया कि ''पटवारी साहब झूठ बोल रहे है इन्होंने मेरे छोटे भाई की बहू श्रीमती मुन्ना के द्वारा खरीदी हुई जमीन का नामांतरण खोलने की एवज में 4000 रूपये रिश्वत राशि मांगकर अपने हाथो से ग्रहण कर गिनने के बाद अपने पास ही खडे इनके दलाल श्री पुष्कर अहीर को दिये थे। उसके बाद मैं और श्रीमती मुन्ना पटवार मण्डल से बाहर सडक पर आकर मैंने अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर ईशारा किया।'' जिस पर आरोपी श्री झाबरमल कुछ नहीं बोलकर सिर झुका दिया। उसके उपरांत उपस्थितिन के समक्ष ही मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा आरोपी पटवारी से उक्त भागे हुए व्यक्ति के बारे में पूछा तो उसने घबराते हुए बताया कि ''उसका नाम श्री पुष्कर अहीर पुत्र श्री नाना लाल अहीर निवासी मोरवन पुलिस थाना मंगलवाड जिला चितौडगढ का रहने वाला हो मेरे पास सहायक के रूप में काम करता है। काम के बदले श्री पुष्कर अहीर को मैं खर्चेपानी के पैसे देता हूँ। जिसको मैंने अपने बचाव की गरज से परिवादी से ली हुई रिश्वती राशि 4000 रूपये पुष्कर अहीर को दे दी, मैंने आपको आते हुए कार्यालय कक्ष की खिडकी से देख लिया जिससे एसीबी कार्यवाही की शंका होने से पुष्कर को रिश्वती राशि लेकर पटवार मण्डल भवन के पीछे से भाग जाने के लिए कहा था जो आपको आता देखकर भाग गया। साहब गलती हो गयी है माफ करो जो भी हो मामले को यही निपटा दो, आईन्दा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा।'' जिस पर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करना स्वीकार करने के उपरान्त प्रक्रियानुसार हाथ धुलाई की कार्यवाही दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष प्रारम्भ करते हुए टेक्सी वाहन में से श्री टीकाराम कानि से ट्रेप बॉक्स को मंगवाया गया। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स में से दो कांच के साफ गिलास निकलवाकर पटवार मण्डल में प्रयुक्त पीने के पानी के केम्पर से पानी मंगवाकर दोनो कांच के गिलासों को साबुन से धुलवाया गया। तत्पश्चात उक्त दोनो साफ गिलासों में केम्पर से पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हे हाजरीन ने भी स्वीकार

किया। एक कांच की गिलास के घोल में आरोपी श्री झाबरमल के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर बन्द करा मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित करा श्री टीकाराम कानि से सिलचिट करा चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी, श्रीमती मुन्ना एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी श्री झाबरमल के बायें हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को दूसरे कांच के गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने भी स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर बन्द करा मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, श्रीमती मुन्ना, परिवादी, एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा आरोपी श्री झाबरमल से परिवादी से दौराने मांग सत्यापन दिनांक 19-8-2022 को ग्रहण की गयी रिश्वती राशि 500 रूपये के बारे में पूछा गया तो आरोपी श्री झाबरमल ने घर खर्च में व्यय होना बताया। तत्पश्चात आरोपी पटवारी से परिवादी एवं उसके भाई की बहू श्रीमती मुन्ना से संबंधित रिकॉर्ड के बारे में पूछा गया तो आरोपी पटवारी ने अपने कार्यालय रिकॉर्ड में से नामांतरण प्रपत्र (प-21) की प्रति जिस पर श्री झाबरमल पटवारी के हस्ताक्षर किये हुए है, इसके साथ संलग्न श्रीमती मुन्ना के द्वारा कय की हुई भूमि के विक्रय विलेख की प्रतियां पेश की। जिस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा उक्त प्रतियां को शामिल कार्यवाही की गयी। उक्त कार्यवाही के दौरान पूर्व में दिये गये निर्देश की पालना में श्री मांगीलाल कानि. पटवार मण्डल परिसर से बाहर ही रहा। समय 12.05 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा उपस्थितिन के समक्ष ही घटनास्थल का नक्शा मौका मूर्तिब किया गया। तत्पश्चात समय 12.30 पीएम पर रिश्वती राशि की बरामदगी के संबंध में आरोपी के कार्यालय कक्ष की तलाशी ली गयी। कार्यालय कक्ष की तलाशी के दौरान कक्ष में रखी रेक में रखी अलग-अलग पत्रावलियों राशि मिली जिसे स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो कुल राशि 37,000 रूपये मिले। उक्त राशि का मिलान पूर्व में मूर्तिब फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नंबरों से मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहान से कराया गया तो नोटों के नंबरों का मिलान नहीं हुआ। किन्तु उक्त राशि संदिग्ध प्रतीत होने से एक लिफाफे में रखकर कब्जे ब्यूरो ली गयी। पटवार मण्डल में ट्रेप के संबंध में अग्रिम लिखापढी हेतु पर्याप्त स्थान नहीं होने से आरोपी श्री झाबरमल से पटवार मण्डल के कार्यालय कक्ष की चाबी ली जाकर सुरक्षित हालत में ताला लगाया जाकर परिवादी श्री डालचंद एवं श्रीमती मुन्ना को उसकी कार से उप तहसील मंगलवाड के लिए रवाना करते हुए पीछे पीछे मन् पुलिस निरीक्षक, श्री हरिश्चंद्र सिंह पुलिस निरीक्षक एवं स्वतंत्र गवाहान डिटेनशुदा, ब्यूरो जाप्ता एवं आरोपी श्री झाबरमल वर्मा पटवारी, सिलचिटशुदा आर्टिकल, डिजिटल टेप रिकॉर्डर, ट्रेप बॉक्स इत्यादि के टेक्सी वाहनों से अग्रिम कार्यवाही हेतु उप तहसील मंगलवाड के लिऐ रवाना हो समय 01.15 पीएम पर परिवादी एवं श्रीमती मुन्ना, मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान एवं डिटेनशुदा आरोपी के टेक्सी वाहनों से कार्यालय उप तहसील मंगलवाड पहुंचे। जहां श्री भगवतीलाल, अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो उपस्थित मिले। जिन्हें मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा अपना तथा हमराहीयानों का परिचय देते हुए अपने आने के मंतव्य से कराया गया तो श्री भगवतीलाल, अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो ने कार्यालय उप तहसील में ही कक्ष उपलब्ध कराया गया। श्री भगवतीलाल को पटवार मण्डल मंगलवाड के कार्यालय कक्ष की चाबी दी जाकर मुनासिब हिदायत दी गयी। जहां पर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। आरोपी श्री पुष्कर अहीर (प्राइवेट व्यक्ति) की भी उक्त ट्रेप कार्यवाही में गिरफ्तारी की जाना वांछित होने से श्री हरिश्चंद्र सिंह, पुलिस निरीक्षक के द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना मंगलवाड जिला चितौडगढ को हालात से अवगत कराते हुए आरोपी श्री पुष्कर अहीर की दस्तयाबी कर ब्यूरो के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर तेहरीर भी पृथक से जारी कर प्रेषित की गयी। तत्पश्चात समय 1.40 पीएम पर आरोपी के मंगलवाड कस्बे में स्थित मकान की खानातलाशी ली जाना वांछित होने से आरोपी श्री झाबरमल को श्री हरिश्चंद्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय शेष ब्यूरो जाप्ते को उपस्थिति में ही छोडते हुए मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता श्री सुरेश कानि, श्री टीकाराम कानि मय लेपटॉप, प्रिन्टर के आरोपी के बताये अनुसार उसके निवास के लिए रवाना हो आरोपी के निवास स्थान पर पहुंच आरोपी के मकान की खानातलाशी ली गयी। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान, स्वतंत्र

गवाहान के आरोपी के निवास स्थान की खानातलाशी ली जाकर समय 3.20 पीएम पर उप तहसील, मंगलवाड पर पहुंचे। तत्पश्चात दिनांक 19–8–22 को परिवादीगण एवं आरोपी श्री झाबरमल पटवारी के मध्य आमने सामने हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, जिसे परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा श्री सुरेश कानि से वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार करायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर शब्द ब शब्द सुना जाकर श्री सुरेश कानि से फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवायी गयी। मूल सीडी, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसकिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। डब सीडी को सीडी कवर में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 23–8–22 को परिवादीगण एवं आरोपी श्री झाबरमल पटवारी के मध्य आमने सामने हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता, जिसे परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा श्री सुरेश कानि से वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार करायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर शब्द ब शब्द सुना जाकर श्री सुरेश कानि से फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवायी गयी। मूल सीडी, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसकिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। डब सीडी को सीडी कवर में सुरक्षित रखा गया। समय 6.00 पीएम पर उपस्थितिन के समक्ष ही ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड को भी पृथक से मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर कवर संबंधितों के हस्ताक्षर करा एक कपडे की थेली मे रख सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा जरिये फर्द कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात समय 6.15 पीएम पर आरोपी श्री झाबरमल को अपनी आवाज का नमूना देने हेतु पत्रांक एसपीएल–1 दिनांक 23–8–22 दिया गया। आरोपी ने उक्त पत्र पर ही अपनी आवाज का नमूना नही देने बाबत् प्रतियुत्तर लिखित में पेश किया। जिसे शामिल कार्यवाही किया गया। आरोपी श्री झाबरमल पुत्र श्री रामेश्वरलाल वर्मा उम्र 43 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज) हाल पटवारी, पटवार मण्डल मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चितौडगढ के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120 बी भा.द.सं. का अपराध प्रमाणित होने से श्री झाबरमल को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर समय 6.30 पीएम पर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। बाद कार्यवाही के परिवादी श्री डालचन्द एवं श्रीमती मुन्ना को आवश्यक हिदायत देते हुए मौके से ही रूकसत किया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक, श्री हरिश्चंद्र सिंह पुलिस निरीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान, ट्रेप टीम मय गिरफ्तारशुदा आरोपी एवं जप्तशुदा आर्टिकल मय ट्रेप बॉक्स इत्यादि के टेक्सी वाहनों से रवाना हो पुलिस थाना भूपालपुरा, उदयपुर पहुंच आरोपी को सुरक्षा की दृष्टि से दाखिल हवालात कराया गया। जप्तशुदा आर्टिकल, सिल्ड मूल एवं अनसिल्ड डब सीडी, धोवन की सिलचिटशुदा शीशीयां, सिल्ड मेमोरी कार्ड, जप्तशुदा राशि इत्यादि को मालखाना प्रभारी श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि को सुरक्षित हालात में संभलवाकर मालखाना रजिस्टर में इंदाज कर सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया। दिनांक 24–8–2022 को आरोपी श्री झाबरमल पटवारी को माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कम सं.1, उदयपुर में पेश कर जेसी रिमाण्ड प्राप्त होने पर श्री टीकाराम कानि एवं श्री सुरेश कानि मय आरोपी श्री झाबरमल के केन्द्रीय कारागृह उदयपुर पहुंच आरोपी श्री.झाबरमल को जमा करा प्राप्ति रसीद शामिल पत्रावली की गयी।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री झाबरमल वर्मा, पटवारी, पटवार मण्डल मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चित्तौडगढ़ द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपने वैद्य पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री डालचन्द से मांग सत्यापन के दौरान रिश्वती राशि 500 रूपये ग्रहण किये तथा रिश्वत राशि लेनदेन के दौरान भी परिवादी से रिश्वती राशि 4000 रूपये अपने हाथों से ग्रहण कर गिनने के पश्चात अपने बचाव की गरज से परिवादी से ग्रहण की गयी रिश्वती राशि 4000 रूपये आरोपी श्री झाबरमल पटवारी ने अपने दलाल श्री पुष्कर अहीर पुत्र श्री नानालाल अहीर निवासी मोरवन पुलिस थाना मंगलवाड जिला चितौडगढ को दिये एवं एसीबी टीम को पटवार मण्डल की कार्यालय कक्ष की खिडकी से देख लेने के पश्चात् अपने दलाल श्री पुष्कर अहीर को रिश्वती राशि 4000 रूपये लेकर पटवार मण्डल के पीछे से भाग जाने के लिए कहा था जिस पर एसीबी टीम को देखकर श्री पुष्कर अहीर पुत्र श्री नानालाल अहीर निवासी मोरवन पुलिस थाना

मंगलवाड जिला चितौडगढ रिश्वती राशि लेकर मौके से फरार हो गया। आरोपी श्री पुष्कर अहीर की तलाश जारी है।

इस प्रकार आरोपीगण श्री झाबरमल पुत्र श्री रामेश्वरलाल वर्मा उम्र .43 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज) हाल पटवारी, पटवार मण्डल मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चितौडगढ एवं उसके दलाल श्री पुष्कर अहीर पुत्र श्री नानालाल अहीर निवासी मोरवन पुलिस थाना मंगलवाड जिला चितौडगढ के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7 ए पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018 व 120 बी भा.द.स. के तहत दण्डनीय अपराध करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया।

अतः आरोपीगण श्री झाबरमल पुत्र श्री रामेश्वरलाल वर्मा उम्र 43 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज) हाल पटवारी, पटवार मण्डल मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चितौडगढ एवं श्री पुष्कर अहीर पुत्र श्री नानालाल अहीर निवासी मोरवन पुलिस थाना मंगलवाड जिला चितौडगढ (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7 ए पी.सी. (संशोधित) एक्ट 2018 एवं 120 बी भा.द.सं. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय

(डॉ. स्मेनू शेखावत)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
उदयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपी 1. श्री झाबरमल वर्मा, पटवारी, पटवार मण्डल मंगलवाड़ तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ एवं 2. श्री पुष्कर अहीर पुत्र श्री नानालाल अहीर (प्राईवेट व्यक्ति), निवासी मोरवन, पुलिस थाना मंगलवाड, जिला चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 328/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

24.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2867-71 दिनांक 24.8.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।

24.8.2

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।